



हिन्दी भाषा के विकास में गांधी का योगदान एवं बदलते परिवेश में हिन्दी भाषा का अस्तित्व : एक चितंन

डॉ. समता जैन

सहा. प्राध्यापिका श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान, इन्दौर

शोध सारांश

भाषा, संस्कृति का कोष और वाहन है। भाषा केवल विचारों के आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम ही नहीं अपितु विचारों की जननी के रूप में उसके भावों को स्वरूप देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। जब हम अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो ही सृजनता में मौलिकता झलकती है। सांस्कृतिक, प्राकृतिक और भाषा की दृष्टि से समृद्ध भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। भारत में अनेक भाषाओं के होते हुए भी हिन्दी का अपना अलग ही महत्व है। हिन्दी भारत की आत्मा में बसी हुई है, जो हर प्रदेश में जानी पहचानी जाती है। विविधता में एकता भारत जैसे बहुभाषी बहुपंथी और बहुरंगी देश की सबसे बड़ी शक्ति रही है। इस शक्ति का एक स्रोत हिन्दी भाषा ही है। हिन्दी भाषा भारत देश की आम भाषा है। भारत के हृदय का उद्गार है। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का कथन है, "राष्ट्रभाषा का प्रचार करना मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ।" हिन्दी राष्ट्रीय एकता की भाषा है। हिन्दी भारत माता के ललाट की बिंदी है।" आजादी के आंदोलन के सबसे बड़े नेता और हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में पूरोधा रहे मोहनदास करमचंद गांधी भले ही खुद गुजराती भाषी थे, लेकिन हिन्दी को लेकर उनका योगदान अतुलनीय रहा है। जब दक्षिण अफ्रीका से गांधीजी भारत आए तो उनका पहला आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ। गांधीजी जब चंपारण गए तो सबसे बड़ी दिक्कत उन्हें भाषा को लेकर आयी। इस मामले में कुछ स्थानीय साथियों ने उनकी मदद की, लेकिन गांधीजी ने खुद बहुत जतन से हिन्दी सीखी। स्वतंत्रता आंदोलन में आने से पहले गांधीजी ने पूरे देश का भ्रमण किया और पाया कि हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जो पूरे देश को जोड़ सकती है। इसलिए उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही। क्योंकि समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोकर ऐसा स्रोत बनाने का सौभाग्य हिन्दी को ही रहा है। हिन्दी नाना प्रकार की विधाओं, कलाओं और संस्कृतियों की त्रिवेणी बनाती है। हिन्दी में पुरातन भारतीय परम्पराओं की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की भी अपूर्व क्षमता है। हिन्दी एक समृद्ध और विकसित भाषा है। भाषा केवल व्यक्ति की ही नहीं राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान है। देश के लगभग 70 प्रतिशत लोग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हिन्दी भाषा नहीं है। यही नहीं, विदेशों के अधिकांश क्षेत्रों में भी हिन्दी भाषी लोग हैं। हमारे देश में हिन्दी भाषी राज्यों उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश आदि राज्यों में भी हिन्दी भाषी व्यक्तियों की संख्या अधिक है। ये हिन्दी के प्रेमी, भक्त और समर्थक हैं। अहिन्दी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी प्रभाकर माचवे जैसे हिन्दी के लोकप्रिय लेखक हैं। संत सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि साहित्यकारों ने अपनी प्रतिभा के बल पर साहित्य का सृजन कर साबित किया कि हिन्दी किसी से कम नहीं है। हिन्दी हमारी अस्तिता की पहचान है। विनोबाजी ने कहा था कि, "राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे अधिक आवश्यक अगर कुछ है तो वह एक भाषा और एक लिपि" मुझे लगता है कि हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि ही इसका एकमात्र साधन है।

कुंजी शब्द— संस्कृति, भाषा, राष्ट्रभाषा, बहुपंथी, बहुरंगी, देवनागरी, एकता, शिक्षा।

शोध आलेख का उद्देश्य — 1. हिन्दी के विकास में गांधीजी के योगदान का अध्ययन करना।

2. हिन्दी के विकास हेतु किए गए उल्लेखनीय कार्यों से अवगत होना।

3. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में भाषा और संस्कृति के अध्ययन से होने वाले सकारात्मक परिवर्तन एवं चुनौतियों का अध्ययन करना।

4. हिन्दी भाषाकी वैशिक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये।

अध्ययन विधि — द्वितीयक समंकों एवं अध्ययन पर आधारित।

प्रस्तावना — भारत के राजनीतिक क्षितिज पर गांधीजी का उदय भास्कर की भाँति हुआ। उनका सुविचार था कि — "समूचे हिंदुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमको भारतीय भाषाओं में एक ऐसी भाषा लेकिन उस भाषा की जरूरत है जिसे आज



ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग जानते हो और समझते हैं और बाकी लोग इसे झट से सीख सकें। इसमें शक नहीं हिंदी ही ऐसी भाषा है। “सर्वधर्म समभाव के पक्षधर गांधीजी ने शिक्षा पद्धति पर विशेष बल दिया, उसे बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। जिसमें ज्ञान के साथ—साथ कर्म भी संबंधित है। वे एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का विकास करने के पक्ष में रहे, जिससे राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति आस्था संपूर्ण एकता अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न हो सके। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है, संस्कार है। महात्मा गांधी के अनुसार, “सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चों के आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक पहलुओं को उभारती है और प्रेरित करती है। इस तरीके से हम सार रूप में कह सकते हैं कि उनके मुताबिक शिक्षा का अर्थ सर्वांगीण विकास था।” स्वामी विवेकानन्द के अनुसार, “शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है।” अरस्तु के अनुसार, “शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का विकास करती है, विशेष रूप से मानसिक शक्तियों का विकास करती है ताकि वह परम सत्य, शिव एवं सुंदर का चिंतन करने योग्य बन सके।” हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं, जिसका व्यवहार समग्र देश में होता है। जो पूरे देश में लिखी, पढ़ी और समझी जाती हो। जिसमें उच्च स्तर का साहित्य हो, श्रेष्ठतम् शब्दसमूह हो, देश को भावनात्मक एकता से बांधने की क्षमता हो। एकमात्र हिंदी में ही वह लचीलापन है, लाघव है, सम्प्रेषणीयता है, सामर्थ्य है, जो कि राष्ट्रभाषा के लिए अपेक्षित है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक समग्र देश में हिन्दी बोली जाती है; समझी जाती है, यह गौरव किसी अन्य भाषा को नहीं मिला। अब तो हिंदी हमारी राजभाषा भी है। राजभाषा उसे कहते हैं, जो सरकारी कामकाज में चलता हो। आजादी के बाद 14 सितंबर, 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत को राजभाषा का स्थान दिया है। इस तरह हिंदी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। विविधता में एकता की अभिव्यक्ति हिंदी में है। हिंदी देश की जन्मभाषा है जनभाषा है। यह विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली, समझी और पढ़ी—लिखी जाने वाली भाषा मानी जाती है। इसलिए इसके प्राचीन नाम ‘भाषा’, ‘देशभाषा’, ‘हिंदवी’ आदि है। चंद्रबरदाई ने इसे ‘भाषा’ विद्यापती ने ‘देशीय भाषा’, कबीर ने ‘भाषा’, जायसी ने ‘हिंदवी’, तुलसी और केशव ने इसे ‘भाखा’ कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का विस्तार क्षेत्र कभी सीमित नहीं रहा। क्षेत्रीय और हिंदी कवियों को क्षेत्रीय या प्रादेशिक सीमाओं से आबद्ध होना कभी स्वीकार्य नहीं हुआ। उनका भाषा संबंधी दृष्टिकोण सदा विशाल और व्यापक रहा। राष्ट्रभाषा देश का सम्मान, देश का अभिमान, देश की एकता की पहचान राष्ट्रभाषा महान है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा के नाम पर प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में अगर कोई भाषा समर्थशाली है, तो वह है – हिन्दी भाषा।

राजभाषा प्रश्नोत्तर के घेरे में क्यों ?

हिंदी के सामने राष्ट्रभाषा और राजभाषा का प्रश्न आजादी के बाद से उठ रहा है। हांलाकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है और उसे यह दर्जा 26 जनवरी, 1950 को ही प्राप्त हो गया था लेकिन संविधान के अनुच्छेद 120में यह व्यवस्था है कि संसद में हिंदी या अंग्रेजी में काम किया जाएगा। संविधान निर्माताओं ने यह मंशा जाहिर की थी कि संविधान लागू होने के बाद 15 वर्षों की समाप्ति पर 26 जनवरी, 1965 से अंग्रेजी का प्रयोग राजकाज में समाप्त हो जाएगा। किंतु 1965 में जब यह बात सामने आयी तो किसी द्वंद्य या मजबूरीवश संसद ने राजभाषा अधिनियम का संस्थोधन कर अंग्रेजी के प्रयोग को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 16 जून, 1931 के ‘यंग इंडिया’ में भाषा के संबंध में एक टिप्पणी में कहा था – “अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों और उन्हीं के लिए होने वाला हो, तो निःसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखों मरने वालों का, करोड़ों निरक्षरों का, निरक्षर बहनों का और दलित और अन्त्यजों का हो, और इन सबके लिए हो, तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है।” किसी ने ठीक ही कहा है –

हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी, वतन जैसे ही है प्यारी।

अनेकता में एकता का नारा है, गौरवशाली भारत हमारा है।

सांस्कृतिक मूलाधार है राष्ट्रभाषा, अक्षुण्ण रहे हिन्दवासी अभिलाषा।

भारतीय भाषा के महत्व को बनाए रखने में उपयोगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 –

नई शिक्षा नीति 2020, 29 जुलाई, 2020 इसरो प्रमुख डॉ कस्तूरीरंजन की अध्यक्षता में मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय के द्वारा पेश की गई। यह 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विस्थापित कर नई शिक्षा नीति (2020) के रूप नए मापदण्डों के आधार पर अपनी सार्थक पहल करने में उन्मुख है। ‘भारतीय भाषा, कला और संस्कृति का प्रचार’ शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि “भारत में भाषा, कला और संस्कृति का प्रचार के लिए एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म/पोर्टल/विकी के माध्यम से प्रलेखित किया जाएगा, ताकि लुप्तप्राय और सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला और संस्कृति को संरक्षित किया जा सके।”



इसी प्रकार शीर्षक 'बहुभाषावाद और भाषा की ताकत' में कतिपय बिन्दुओं परविशेष ज़ोर दिया गया है। जो कि भारतीय भाषा के महत्व को बनाए रखने में उपयोगी सिद्ध होंगे। जैसे –

- नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक, अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा/स्थानीय भाषा /क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है।
- छात्रों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा।
- त्रिभाषा सूत्र में भी यह विकल्प शामिल होगा।

इस प्रकार उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृ भाषाओं को पुनर्जीवित करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। यह सत्य है कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं बनता, जब तक उसकी जमीन अर्थात् उसका जनमज़बूत नहीं होता है। हमारी मातृभाषाएं इसी बड़े व्यापक जन समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब यह जन समूह मज़बूत होगा तो उसका प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी हिंदी भाषा भी स्वतः मज़बूत होगी। क्योंकि हिंदी का शब्द भंडार तो उसकी मातृभाषा, क्षेत्रीय बोलियों व भारतीय भाषाओं के शब्दों के भंडार से ही निर्मित है। ऐसे में बहुभाषिकता हमारी कमज़ोरी नहीं बल्कि हमारी विशेषता है। डॉ जाकिर हुसैन के शब्दों में कहा जाए तो "हिंदी वह धागा है जो विभिन्न मातृभाषाओं रूपीफूलों को पिरोकर भारत माता के लिए सुंदर हार का सृजन करेगा।" हमारे संविधान की सबसे बड़ी खूबी ही अनेकता में एकता है। पांच उंगलियाँ मिलकर एक मुँड़ी बनाती है। हमारी बहुभाषिकता में एक भाषा के रूप में हिंदी की पहचान उस मुँड़ी के समान है जो अलग-अलग उंगलियाँ अर्थात् भाषाओं के होने के बावजूद हिंदी के रूप में शक्ति का एहसास कराती है।

हिंदी भाषा का सुनहरा भविष्य –

राष्ट्रीय चेतना, उसका स्वरूप, उसका प्रभाव और उसकी गरिमा को प्रतिपादित करनेवाली राष्ट्रीय तत्त्व होते हैं। राष्ट्रीय तत्त्वों के अंतर्गत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रचिन्ह, राष्ट्रभाषा और साहित्य, संस्कृति सम्मता, रीति-रस, पर्व-त्यौहार आदि आते हैं। इन सभी राष्ट्रीय तत्त्वोंकी पहचान करने वाला तत्त्व भाषा ही है। इस प्रकार हमारे समूचे राष्ट्र की भावधारा को व्यक्त करने वाली भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतवर्ष एक विशाल गणराज्य है। विस्तृत देश होने के कारण इसमें विभिन्नता का होना भी परम स्वाभाविक है। यह विभिन्नता हमें सर्वप्रथम इसमें प्रचलित विविध भाषाओं मेंदृष्टिगोचर होती है। भारत वर्ष में तमिल, मराठी, बंगला, गुजराती आदिअनेक भाषाएँ हैं। परन्तु इन भाषाओं का प्रचारव्यापक नहीं है। जितनाकि हिन्दी भाषाका है। विभिन्न भाषाओं के होते हुएभी भारतीय अभिव्यक्ति मैंहिंदी कावहीस्थानहै, जोनक्षत्र लोक मैंचंद्रमाकाहै। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी लोक व व्यापक जन के संवाद व संप्रेषण की भाषा है। यह हमारे राष्ट्र की धरोहर है। यदि हम इसके प्रति ही स्वाभिमान का भाव पैदा नहीं कर सकेंगे तो फिर हम अपने राष्ट्र के प्रति भी स्वाभिमान का भाव पैदा नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा है कि "मेरी मातृभाषा में कितनी खामियां क्यों ना हो? मैं इससे इसी तरह चिपटा रहूँगा जिस तरह बच्चा अपनी माँ की छाती से। यही मुझे जीवनदायिनी दूध दे सकती है। अगर अंग्रेजी उस जगह को हड़पना चाहती है जिसकी वह हकदार नहीं तो मैं उससे सख्त नफरत करूँगा। वह कुछ लोगों के सीखने की वस्तु हो सकती है, लाखों, करोड़ों कि नहीं।" महात्मा गांधी जी ने वर्धा शिक्षा योजना 1937 में शिक्षा में मातृभाषा की अनिवार्यता पर बात कही थी। जो आज बहुत ही प्रासिगक सिद्ध होती है।

विशेषकर मराठी भाषी संतों, लेखकों का अवदान स्मरणीय हैं। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम का नाम इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। सम्पूर्ण देशभर में भ्रमण करने वाले इन मराठी संतों ने हिंदी को स्वीकार कर हिंदी के प्रति अपना समर्थन किया। विनोबाजी ने कहा था कि, "राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे अधिक आवश्यक अगर कुछ है तो वह एक भाषा और एक लिपि।" मुझे लगता है कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि ही इसका एकमात्र साधन है। हिंदी में सभी प्रांतीय भाषाओं के शब्द मिलते हैं। वह देवनागरी लिपि में रखी जाती है जो एक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी की उत्पत्ति भारतीय संस्कृति की भाषा संस्कृत से हुई है। अनेक वर्षों से यह राज कारोबार की और सामान्य जनता की भाषा रही है। अपने भावों को देशव्यापी अभिव्यक्ति देने के लिए असम के शंकर देव नारायण देव, पंजाब के नानक देव, गुजरात के नरसी मेहता, दयाराम, महाराष्ट्र के नामदेव आदि ने हिंदी को ही अपनाया। समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सिनेमा ने हिन्दी को ही अपनाया है। विदेशी सिनेमाओं ने भी हिंदी को अपनाया है, जैसे – ज्युरासिक पार्क। इस तरह भारत की एकता को व्यक्त करने वाली, अपनेपनके भावकोबढ़ाने वाली हिंदी भाषा है। एकता की सार्थक अभिव्यक्ति हिन्दी भाषामें है।

हिंदी हमारी अपनी भाषा है। एक राष्ट्रभाषा जिन गुणोंकी माँग करती है, वे समस्त गुण इसमें विद्यमान हैं। हिंदी भाषा में प्राचीन कालसे ही पर्याप्त मात्रामें साहित्य रचना हुई है और वर्तमान काल में भी प्रचुरमात्रा में साहित्य रचा जार हा है। विदेशी भाषामें ज्ञानार्जन करने मेंजितना प्रयत्न करने पड़ते हैं। निज भाषा में उससे आधे प्रयत्नसे ही प्रवीनताआ जाती है। गांधीजीके शब्दों में



"अंग्रेजी भाषाके माध्यम से शिक्षा मेंकमसेकम सोलह वर्षलगतेहैं।यदि इन्हीं विषयों की शिक्षाअपनी भाषाके माध्यमसेदी जाए तोज्यादासे ज्यादा दस वर्ष लगेगे।

आज दुनिया में 50 से अधिक देश ऐसे हैं, जहाँ लोग भारत को समझने के लिए हिंदी को समझना आवश्यक मानते हैं।हर जगह हिंदी के लिए आदर और अपनापन है।भारतेंदुजी ने भाषा के महत्व को इस प्रकार उद्घाटित किया है—

निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति कोमूल ।

बिन निजभाषाज्ञान केमिटतनहियकोशूल ॥

हिंदी देश की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता ज्वलंत प्रतीक है। राष्ट्रीय मर्यादा के रूप में हिंदी को अपनाना ही राष्ट्रीय धर्म है। राष्ट्रीय भावना का संबंध राष्ट्रीय एकता से होता है। राष्ट्रीय एकता से राष्ट्र की उन्नति होती है। एकता का भाव भाषा से ही प्रकट होता है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की वाणी है। हिंदी राष्ट्रवाणी है, जो सम्पूर्ण राष्ट्र को प्यारी है। हिंदी राष्ट्र की आत्मा है। गांधी जी ने एक मूलमंत्र दिया था — एक हृदय भारत जननी।'

हिंदी एक विश्वभाषा है। 1975 में नागपुर में विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व के सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसी प्रेरणा से वर्धा में हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ स्थापन हुआ। भारत की एकता को व्यक्त करने वाली अपनेपन के भाव को बढ़ाने वाली हिन्दी भाषा है। हिंदी की मिठास अवर्णनीय है।

कबीरदास जी ने लिखा है —

ऐसी बानी बोलिए , मन का आपा खोय ,
औरन को शीतल करे ,आपहुँ शीतल होय ॥

जो भाषा सीधी ,सरल ,आकर्षक सीखने —सिखाने में आसान, जिसे अधिकांश लोगों ने अपनाया हो ,जो साहित्य की दृष्टिसे समृद्ध हो ; जो राष्ट्रीय एकता के भावों को अभिव्यक्ति करें, जो एकता के सूत्र में बांधे रखे, क्यों न राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आरुढ़ हो ?

हिंदी भाषा के बारें में अध्ययन करने से यह पता चलता है कि हिंदी का भविष्य आने वाले दिनों में काफी उन्नत होगा। इसमें भी कोई अतिश्योवित न होगी कि वर्ष 2050 तक हिंदी विश्व की सबसे ताकतवर भाषाओं में से एक होगी। वर्ल्ड ईकोनॉमिक फोरम ने पांच पावर भाषा इन्डेक्स तैयार किया है जिसमें यह टॉप 10 में शामिल है और दसवें नम्बर पर है। इसको एक पैमाने पर तैयार किया जा रहा है जो आर्थिक, व्यापारिक इत्यादि महत्वों पर आधारित है। पावर भाषा इन्डेक्स में हिंदी के दसवें नंबर पर होने का कारण यह है कि भारत ने अपने पांच हजार साल के इतिहास में कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया और दूसरे देशों में उपनिवेश भी स्थापित नहीं किया। "अंग्रेजी" पावर भाषा इन्डेक्स में पहले नंबर पर है। हिंदी को इंटरनेट से नई ताकत मिली है। यह सच है कि देश की डिजिटल वर्ल्ड में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी की सामग्री की मांग पाँच गुना तेजी से बढ़रही है। भारतीय युवाओं के स्मार्ट फोन में औसतम 32 ऐप में से आठ या नौ हिंदी के होते हैं। भारतीय युवा 93 प्रतिशत यू-ट्यूब हिंदी में देखते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में हिंदी को बढ़ाने में "यूनीकोड" ने अहम भूमिका निभायी है। अभी इंटरनेट पर हिंदी में 15 से ज्यादा सर्च इंजन हैं। डिजिटल इंडिया में हिंदी की मांग 94 प्रतिशत की दर से बढ़रही है। 21 प्रतिशत भारतीय इंटरनेट पर हिंदी का इस्तेमाल करना चाहते हैं फिर भी हिंदी के सामने बड़ी चुनौतियां हैं जिसे पार कर पाना काफी तो मुश्किल है पर असंभव नहीं। इंटरनेट पर 0.04 प्रतिशत ही हिंदी वेबसाईट है। फिर भी आने वाले दिनों में हिंदी का भविष्य सुनहरा प्रतीत हो रहा है। हिंदी अब अर्थ व्यवस्था और बाज़ार की भाषा बनने लगी है। दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी है। विदेशों में 25 से ज्यादा अख़बार और पत्रिकाएं हिंदी में मिलते हैं। यहाँ तक कि हिंदी शब्द "अवतार" पर हॉलीवुड में इस शीर्षक पर एक फिल्म भी बनी है। इतना ही नहीं पिछले वर्ष आक्सफोर्ड डिक्शनरी में 500 नये शब्द शामिल किए गये थे। उनमें से 240 शब्द हिंदी के थे। अब पूरी दुनिया में हिंदी का महत्व दिन प्रति दिन बढ़रहा है। इस बात ने हमें उम्मीद के साथ सकारात्मकता से भर दिया है कि अगर आप और हम मिलकर अपने-अपने स्तर पर हिंदी को बढ़ाने का काम करें तो यह विश्व की एक ताकतवर भाषा बन सकती है। विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की राजभाषा —हिन्दी, जिसकी लिपि "देवनागरी" है और जिसे भारतीय संविधान सभा ने 14 सिंतम्बर, 1949 को अधिकारिक भाषा के रूप में चुना। इसी वजह से 14 सितम्बर को हर साल "हिन्दी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी भाषा एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी-फारसी शब्द कम है। हिन्दी संवैधानिक रूप से भारत की "राजभाषा" है और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जानी वाली भाषा है। हिन्दी और इसकी बोलियां सम्पूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं। हर्ष और गौरव की बात यह है कि हिन्दी बोलने वालों का दायरा बढ़ा है। जहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 42 करोड़60 लाख (41.03 प्रतिशत) लोगों द्वारा बोली जाती थी। वह अब 2011 की जनगणना के अनुसार 50 करोड़22 लाख (43.63 प्रतिशत) लोगों द्वारा बोली जाने लगी है। इसके अलावा विश्व के अन्य देशों में भी लोग हिन्दी बोलते हैं, पढ़ते हैं, और लिखते हैं। फिजी, मॉरीशस, गुयाना, सुरीनाम, पाकिस्तान, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात की जनता भी हिन्दी बोलती है। फरवरी,



2019 में अबुधाबी में हिन्दी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली। भारत की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्नता में एकता है। जैसे एक धागा अनेक किस्म के फूलों तथा मणियों को पिरोकर एक सूत्र में बाँधकर सजा देता है। उसी प्रकार इस देश में भी विविधता में एकता दृष्टिगोचर होती है। हिंदी भाषा अनेक धर्मों, सम्प्रदायों तथा विचारधाराओं का वह संगम है जो एक साथ मिलकर एक जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। अनेकता में एकता ही इसका मूलधार है। भारत में विभिन्नता का स्वरूप न केवल भौगोलिक है, बल्कि भाषायी तथासांस्कृतिक भी है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1652 मातृभाषायें प्रचलन में हैं, जबकि संविधान द्वारा 22 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहले केवल 15 भाषाओं को राजभाषा की मान्यता दी गयी थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिन्धी को तथा 71वाँ संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। बाद में 92वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को राजभाषा में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में इन 22 भाषाओं को बोलने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 90 प्रतिशत है। इन 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी सहायक राजभाषा है और यह मिज़ोरम, नागालैण्ड तथा मेघालय की राजभाषा भी है। कुल मिलाकर भारत में 58 भाषाओं में स्कूलों में पढ़ायी की जाती है। संविधान की आठवीं अनुसूची में उन भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिन्हें राजभाषा की संज्ञा दी गई है।

बदलते परिवेश में हिन्दी भाषा का अस्तित्व बनाए रखने हेतु कठिपय सुझाव –

भारत एक विशाल देश है। जो भौगोलिक सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधता से सजा हुआ है। परन्तु पहचान है – एक राष्ट्रके रूप में। राष्ट्र की पहचान राष्ट्र ध्वज के साथ राष्ट्र के रूप में दिखाई देती है। हिंदी वह भाषा है जो सबको एक संघर्ष में जोड़े रख सकती है। इसी माध्यम से हम सभी भारतवासियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर परस्पर आत्मीयता और प्रेमभाव को वृद्धिगत करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आज बच्चों के लिए एक वाक्य किसी एक भाषा में बोलना मुश्किल होता जा रहा है। वह गुजराती में अंग्रेजी मिलाते हैं, मराठी में हिंदी। यह मिलावट भाषा के लिहाज़ से शुभ संकेत नहीं। इस संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर का कथन सार्थक प्रतीत होता है, कि “हमने अपनी आंखों खोकर भी चश्मे लगा लिए हैं।” यह चश्मे विदेशी भाषाओं के हैं जो आजादी मिलने के उपरांत अधिक बँटने और लगाने लगे। आज यह चश्मे बौद्धिक चर्चा व बहसों के केंद्र में सर्वाधिक लगाए देखें जा सकते हैं।

हम सभी को विदित हैं कि भाषा का संबंध संस्कृति से है और संस्कृति सिर्फ साहित्य, संगीत और कला नहीं है। वह लोगों के रहने का उत्साह है, उनका उद्योग है, व्यवहार है, जीवन शैली है। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विस्मयकारी गति से विकास हो रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विषय जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में विद्यार्थी वर्ग सर्वांगीण विकास व संपूर्ण ज्ञान अर्जित करने में तो सक्षम हो रहा है किंतु हिंदी भाषा के ज्ञान में आज भी ऐसी स्थिति पर विशेष चिंतन की आवश्यकता है क्योंकि भारतीय भाषाओं में हिंदी का एक अपना महत्व है। शोधार्थी की दृष्टि में कठिपय बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है – जैसे –

- भारतीय भाषाओं के महत्व पर गोष्ठियों का आयोजन।
- उच्च शिक्षा के स्नातक / स्नातकोत्तर छात्रों के आधार पाठ्यक्रम में भाषा अध्ययन की अनिवार्यता।
- हिंदी भाषा के प्रति संवेदना एवं चेतना शक्ति का विकास।
- हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोज़गार एवं उन्नति के अवसर।
- भारतीय भाषाओं के प्रति मौलिक चिंतन एवं अभ्यास आदि पर गौर किया जाए, तो निचय ही भाषा विकास में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा।

निष्कर्ष –

हिंदी आपसी सम्पर्क की सक्षम भाषा है। भूतपूर्व राष्ट्रपति वी.वी. गिरि ने तो भविष्यवाणी की थी कि मेरा दृढ़ विश्वास है, हिंदी सम्पर्क भाषा बनकर ही रहेगी। हिंदी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी, देश को उतना ही लाभ होगा। ऐसा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। एकता ऐसा समन्वयकारी तत्त्व है, जो बाहरी विभिन्नता के होते हुए भी मानसिक तौर पर जोड़ने का काम करता है। जैसे हम रेल में यात्रा कर रहे हों और हमारा सहयात्री दूसरी भाषा बोलने वाला हो तो हम अपनी बात अनायास स्वाभाविक तौर पर हिंदी में आरंभ कर देते हैं। गुजराती, मराठी, कन्नड़ इन सबको एक-दूसरे से बोलने को प्रवृत्त करती है—हिंदी भाषा। एतदर्थ कहा जाता है कि “रेल भाषा, मेल की भाषा — हिंदी भाषा।” अतः निष्कर्षतः रूप से



यह कहा जा सकता इस भाषा के माध्यम से अपने देश का विकास सचमुच संभव है। 'आइये, विचार यात्रा पर चलें' जुलाई 2006 के अंक में राकेश शर्मा जी ने हिंदी भाषा के अस्तित्व को बनाए रखने पर समाज का ध्यान केंद्रित किया है। अंग्रेजी को अनिवार्य करके हमारी मातृभाषा को धूमिल किया जा रहा है। आज आवश्यकता है कि अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाए, भाषा का अस्तित्व संजोए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है।

'यह सच है कि आज अंग्रेजी के सहारे ही सफलता की वैतरणी पार हो रही है और हर माँ-बाप अपने बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाने का स्वप्न संजोता है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए मातृभाषाओं की उपेक्षा हो रही है लेकिन भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति की संवाहिका भी है और पूर्वजों की धरोहर है, इसे सहेजना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।' महात्मा गांधी के विचारों में "यदि हम अंग्रेजी के आदी नहीं हो गए होते, तो यह समझने में हमें देर नहीं लगती कि अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम होने से हमारी बौद्धिक चेतना जीवन से कटकर दूर हो गई दूर हो गई है, हम अपनी जनता से अलग हो गए हैं, जाति के सर्वश्रेष्ठ विभागों का विकास रुक गया है और जो विचार हमें अंग्रेजी के माध्यम से मिले, उन्हें हम जनता में फैलाने में नाकामयाब रहे हैं। पिछले 60 वर्षों से हमने विचित्र-विचित्र शब्दों को केवल रटना सीखा है, तथ्यपूर्ण ज्ञान पचाने के बदले हमने शब्दों का उच्चारण सीखा है, जो विरासत हमें अपने बाप-दादों से हासिल हुई, उसके आधार पर नव-निर्माण करने के बदले, हमने उस विरासत को भूलना सीखा है। इस दुर्गति की मिसाल सारी दुनिया के इतिहास में नहीं है। यह तो राष्ट्रीय शोक अथवा ट्रेजडी का विषय है। हमारी शिक्षा व भाषा नीति की सबसे बड़ी विफलता है कि एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा भारत दूसरी ओर आजादी के इतने वर्षों उपरांत भी हिंदी भाषा का वर्चस्व बनाएं रखने में कामयाब नहीं हो पाया है। यह बड़ी विडम्बना है। अतः आज की पहली और सबसे बड़ी समाज-सेवा यह है कि हम अपनी देशी भाषाओं की ओर मुड़े और हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें। हमें अपनी सभी प्रादेशिक कार्यवाइयाँ अपनी-अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए तथा हमारी राष्ट्रीय कार्यवाइयों की भाषा हिंदी होना चाहिए।" अंततः :

करते हैं तन—मन से वंदन, जन—गण—मन की अभिलाषा का ।

अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी हिंदी भाषा का ॥

संदर्भ एवं लेख सूची –

- [1]. राकेश शर्मा : समसामयिक समाचार : 'आइये, विचार यात्रा पर चलें' जुलाई 2006
- [2]. साहित्यिक पत्रकारिता 'वीणा' के संपादक— डॉ वंदना मालवीय, प्रकाशक नीरज बुक सेंटर दिल्ली, प्रथम संस्करण 2018
- [3]. स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी संपादन —मीना गौतम, राष्ट्रीय अभिलेखागार जनपद, नई दिल्ली
- [4]. राजभाषा भारती, वर्ष 37 अंक 140 जुलाई-सितम्बर 2014, राजभाषा विभाग गृहमंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली
- [5]. भाषा, कला और संस्कृति की पोषक : नई षिक्षा नीति – एक दृष्टिकोण, डॉ. समता जैन
- [6]. वीणा: सृजनात्मकता के नौ षटक, राकेश शर्मा मध्यभारत हिंदी साहित्य समिति इन्डॉर संस्करण 2017
- [7]. हिंदी राष्ट्रभाषा राजभाषाजनभाषा : षेकरदयाल सिंह, किताब घर, नई दिल्ली संस्करण 2007
- [8]. <https://sarkariguider.com/shiksha-mein-mahaatma-gaandhee-ka-yogadaan/>
- [9]. https://hindi.webdunia.com/hindi-diwas-special/mahatma-gandhi-on-hindi-language-117090900077_1.html
- [10]. <https://hindi-news18.com/news/knowledge/what&were&the&views&of&mahatma&gandhi&on&hindi&as&national&language&1513109.html>
- [11]. https://www.livehindustan.com/blog/shabd/story-read-afghanistan-kathakar-jalal-noorani-story-ghar-ke-liye-biwi-ya-biwi-ke-liye-ghar-2567404.html?utm_source>EditNewsPerpetual
- [12]. <http://ignited.in/I/a/78926>
- [13]. <https://web.archive.org/web/20170918154359/http://www.hindikunj.com/2016/10/gandhi-and-hindi.html>